

दिनांक 15/06/22 को पंजा हो

15/06/22

पञ्जावली पेश हुई। उममपक्ष अधि०  
 हाजिर। तहसीलदार मिम्बहेडा  
 से पञ्जाव विजस/2022/ 642  
 डिमांक 09/05/2022 से रिपोर्ट  
 प्राप्त हुई है जो 200 पञ्जावली है।  
 रिकॉर्ड पर लिखा जाता है। उपर्युक्त  
 मिम्बहेडा से पञ्जाव /पंजीमन/2022/  
 115 डिमांक 09/05/2022 से रिपोर्ट  
 प्राप्त हुई है जो 200 पञ्जावली है।  
 रिकॉर्ड पर लिखा जाता है। हाजिर  
 वकील पार्थी में आदेशिका पर  
 उल्लिखित वर मिम्बहेडा कि वतमम  
 पकिरिया में पार्थी कम्पनी अपना  
 पार्थीमा पम मही चलमा-वाहरी  
 है अतः अविषय में महीन पार्थीम  
 पम प्रस्तुत करने की अनुमति के  
 साथ पार्थीम में कामवाही समाप्त  
 क्रिमे जाये क उद्देश्य उममपक्ष  
 वर पर हाजिर उममपक्ष डायः

नादीन प्रार्थना पर  
 अनुमति के लिये  
 किरी / महीन  
 a. j. m. v.

25/6/22  
 pd. 15/6/22



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
 जिला कलक्टर  
 धितीड़गाह

की वरिष्ठ बहस का अन्त कामकाज  
 विद्वानों को उममपक्ष सुना वया। हमें  
 पचावती का आधो पात उचलकर  
 किया। उममपक्ष उचलकर उचल  
 की वरिष्ठ बहस का विजय मनन  
 किया। पार्थी कम्पनी वलमन परिद्वारा  
 में अपना पार्थीना पत्र मही चला  
 चाहती हैं ऐसी स्थिति में न्याय  
 हिनमें कहील पार्थी कि विवेकन  
 के कही कार विजय जाल है एव पार्थी  
 कम्पनी को अविषय में मोजर  
 मालियारोडी रहलील सिम्बाहटा  
 की आरजी क्रमेण 349 वरवा  
 0.50 हेक्टेयर भूमि के संर्ध च  
 में इसी न्यायालय में पार्थीना पत्र  
 अन्वयित धारा 19 LR Act  
 1956 में प्रस्तुत किये जाने की  
 अनुमति पत्र की जाती है एवं  
 पार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत हलखान  
 पार्थीना पत्र विद्वानों में खारिज किये  
 जाने का आदेश दिया जाता है।  
 पचावती की वापस मिली नई डेन  
 की जावड बाउ आवश्यक किये जाही  
 अभिलेखवादा मिजाई जो व आदेश  
 कबुले न्यायालय में सुनाया वया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
 जिला कलक्टर  
 धितीडगा  
 15 JUN 2022